

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2021/ 561

भिलाई, दिनांक 22.11.21

### परिपत्र

प्रायः देखा गया है, कि अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा लघुकृत अवकाश हेतु आवेदन अवकाश का लाभ लेने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। नियमानुसार लघुकृत अवकाश हेतु आवेदन मय चिकित्सा प्रमाण पत्र के अस्वस्थ होने के सात दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने पर ही लघुकृत अवकाश का आवेदन मान्य किया जावेगा।

अतः सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है, कि लघुकृत अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने के समय नियमानुसार 07 दिवस के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदित लघुकृत अवकाश के स्थान पर संबंधित के अर्जित अवकाश में समाहित करते हुए अवकाश स्वीकृत कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की होगी।

उपायुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

भिलाई, दिनांक 22.11.21

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2021/562  
प्रतिलिपि :-

1. प्रशासक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त-2 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. सर्व विभाग प्रमुख.....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. सर्व जोन आयुक्त, जोन क्रं. 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई